संख्या–3डी–01–मुक०–10/2025–.../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–.................

विषयः– **बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28/07/2023 की कंडिका–3 (IX) (ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा की प्रभावी तिथि–01/01/2024 किये जाने के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प सं०–6649, दिनांक–28/07/2023 की कंडिका–3(IX)(ग) के प्रावधान के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को महँगाई भत्ता 53 प्रतिशत हो जाने की तिथि–01/07/2024 से मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा, 25 लाख रूपये अनुमान्य है।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक–19/05/2023 को पारित आदेश में मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपादान के संबंध में निम्न आदेश है :–

"The maximum limit for retirement gratuity/death gratuity shall be Rs. 20 lakhs which shall be increased by 25% whenever DA raises by 50%."

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2891, दिनांक–15/03/2024 द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों को दिनांक–01/01/2024 के प्रभाव से 46 प्रतिशत के स्थान पर 50 प्रतिशत महँगाई भत्ता की स्वीकृति दी गई है।

4. उक्त आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपादान की अनुमान्य अधिसीमा (25 लाख रूपये) की प्रभावी तिथि–01/01/2024 से किया जाना राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

5. **अतः सम्यक् विचारोपरांत** बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या–6649, दिनांक–28/07/2023 की कंडिका–3(IX)(ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु–सह–सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा की प्रभावी तिथि–01/01/2024 करने की स्वीकृति दी जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांकः–3डी–01–मुक०–10/2025–________/वि०, पटना, दिनांकः–________

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांकः–3डी–01–मुक०–10/2025–________/वि०, पटना, दिनांकः–________

प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांकः–3डी–01–मुक०–10/2025–________/वि०, पटना, दिनांकः–________

प्रतिलिपिः–महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।

ज्ञापांकः—3डी—01—मुक०—10/2025— 1971 **/वि०,** पटना, दिनांकः— 24-02-2026

प्रतिलिपिः—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा, वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट (बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/26

(जय सिंह)
सचिव (संसाधन)।